क्रम संख्या–39

पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 29 फरवरी, 2016 ई0

फाल्गुन 10, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

नियोजन अनुभाग–2

संख्या 42 / XXVI / दो(10) / 2009

देहरादून, 29 फरवरी, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–02

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या सेवा के पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या सेवा नियमावली, 2016

भाग–1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या सेवा नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या सेवा एक अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह ''ख'' अराजपत्रित एवं ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अपर सांख्यिकी अधिकारी/अपर शोध अधिकारी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के पदो के संबंध में निदेशक अभिप्रेत है ;

(ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ग) ''आयोग'' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) ''संविधान'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है ;

(ङ) ''निदेशक'' से निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;

(च) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(छ) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(ज) ''सेवा का सदस्य'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम ना हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो ;

(ञ) ''सेवा'' से उत्तराखण्ड अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या सेवा अभिप्रेत है ; और

(ट) ''भर्ती का वर्ष'' से किसी कलैन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2–संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट ''क'' में निर्दिष्ट की गई है :

परन्तु यह कि–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित कर सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग—3—भर्ती

<u>भर्ती का स्रोत</u> 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित रीति से और यथासंभव नीचे उल्लिखित अनुपात के अनुसार की जायेगी:—

(1) सहायक सांख्यिकी अधिकारी

आयोग के माध्यम से शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणी:— सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद से विकासखण्ड में तैनाती की दशा में सहायक सांख्यिकी अधिकारी (विकास खण्ड स्तर) तथा सहायक शोध अधिकारी भी अभिप्रेत है।

(2) अपर सांख्यिकी अधिकारी/अपर शोध अधिकारी

विभागीय चयन समिति के माध्यम से स्थायी सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी में से जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को इस रूप में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा:

<u>आरक्षण</u> 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिये अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग—4—अर्हतायें

<u>राष्ट्रीयता</u> 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी —

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगान्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तान्जानिया (पूर्ववर्ती तन्जानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो ;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया हो, किसी परीक्षा में या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी किया जाय।

<u>शैक्षिक अर्हतायें</u> 8. सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें होनी चाहिए :—

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि और देवनागिरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान,

भारतीय सांख्यिकी संस्थान (इन्डियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट) से संगणक का प्रमाण–पत्र भाग–1 या उसके समकक्ष कोई अन्य डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट) धारक को वरीयता दी जायेगी ;

(ख) कम्प्यूटर में "ओ" लेबल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान में कम से कम 01 वर्ष का डिप्लोमा;

अधिमानी अर्हतायें 9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा ; जिसने –

(क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 10. सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिये ;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हों। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में स्वयं का समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ, सरकार या किस राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो ;

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी व्यक्ति को सेवा के सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ अच्छा हो और ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड–दो भाग–तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियों से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–5–भर्ती की प्रक्रिया

<u>रिक्तियों का अवधारण</u> 14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

सहायक सांख्यिकी अधिकारी /सहायक शोध अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1)प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा जो कि आवेदन–पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीबद्ध करने के पश्चात् आयोग द्वारा नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

(4) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत विहित किये जायेंगे।

अपर सांख्यिकी अधिकारी/अपर शोध अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) अपर सांख्यिकी अधिकारी/अपर शोध अधिकारी के पदों पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी(विकास खण्ड स्तर)/सहायक शोध अधिकारी के पदों से शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) निदेशक – अध्यक्ष

(ख) निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्राविधिक विशेषज्ञ – सदस्य

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अनुसूचित जाति का संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी – सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को ज्येष्ठता क्रम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उसके सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझें जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, एक सूची तैयार करेगी। इस प्रकार से तैयार की गई चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

भाग–6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 17. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 15 एवं 16 के अधीन तैयार की गई सूचियों में हो।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्ति प्राधिकारी अस्थाई रिक्तियों में नियुक्तियां भी कर सकेगा। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी नियुक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकेगा, ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हों से अधिक नहीं होगी।

परिवीक्षा–

18 (1) सेवा में किसी मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगें, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जाय ;

परन्तु यह कि अपवादित परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर 'धारणाधिकारी' न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थाई रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थाईकरण 19. परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा; यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय ;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थाई किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 20. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुरूप निर्धारित की जायेगी।

टिप्पणी–

(एक) जहां नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक नियुक्ति का कोई विशिष्ठ पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय, वहां उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

भाग–7–वेतन

वेतनमान 21. (1) सेवा में चाहे मौलिक या अस्थाई आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट–ख में दिये गये हैः

परिवीक्षा–अवधि में वेतन

22. (1) वित्तीय नियमों में किसी प्रतिकुल उपबन्ध के होते हुये भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तब ही दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो :

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत वित्तीय नियमों द्वारा विनियमित होगा ;

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय, तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्याकलाप के सम्बन्ध समान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–8–अन्य उपबन्ध

पक्ष–समर्थन 23. पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 24. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्याकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रण होगें।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 25. जहां राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वे उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस सीमा तक ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वो मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकते हैं या उसे शिथिल कर सकते हैं ;

परन्तु यह कि जहां नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श लिया जायेगा।

व्यावृत्ति 26. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

(कृपया नियम 4(2) देखिए)

सेवा के स्थाई सदस्य–संख्या

पद का नाम	स्थाई पदों की संख्या–कुल पद 209 (प्रथम स्तर के पद 60% तथा द्वितीय स्तर के पद 40%)
1–सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (प्रथम स्तर)	125
2– अपर सांख्यिकी अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (द्वितीय स्तर)	84

परिशिष्ट "ख"

(कृपया नियम 4 (21) देखिए)

पद नाम	वेतनमान
1– सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी	वेतनबैण्ड–2 रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200
2– अपर सांख्यिकी अधिकारी/अपर शोध अधिकारी	वेतनबैण्ड–2 रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600

आज्ञा से,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 42 / XXVI / चो(10) / 2009, dated February 29, 2016 for general information :

No. 42 / XXVI / चो(10) / 2009
Dated Dehradun, February 29, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In excercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Economics and Statistics Department 'Gazetted' Group 'A' and 'B' Services:-

THE UTTARAKHAND ECONOMICS AND STATISTICS SUBORDINATE SERVICE RULES, 2016

PART I – GENERAL

Short Title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Economics and Statistics Subordinate Service Rules, 2016
(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttarakhand Economics and Statistics Subordinate Service is a nongazetted service and includes Group Band-C posts of Economics and Statistic Department

Definitions

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or content:

(a) 'Appointing Authority' means regarding posts of Additional Statistical Officer/Additional Research Officer and Assistant Statistical/Assistant Research Officer, The Director ;
(b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be citizen of Indian under Part-II of the Constitution;
(c) 'Commission' means The Uttarakhand Public Service Commission;
(d) 'Constitution' means the Constitution of India;
(e) 'Director' means the Director of Economics and Statistics Uttarakhand;
(f) 'Government' means the Government of Uttarakhand;
(g) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand;
(h) 'Member of Service' means a person substantially appointed under these rules of or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(i) Substantive Appointment' means an appointment not being an ad hoc appointment, on post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and

(j) Service means the Uttarakhand economics and Statistics Subordinate Service. Or

(k) 'Year of Recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II – CADRE

Cadre of the Service

4. (1) The strength of the service and of each category of the posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of the posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) as given in Appendix- 'A' ;

Provided that-

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary post as he may consider proper.

PART -III RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various category of posts in the service shall be made from following sources:

(1)	Assistant Statistics Officer	Cent percent by direct recruitment through the Commission. Note:- Assistant Statistics Officer Posts means in case of posting at place of Block, the Assistant Statistics Officer (Block Level) and Assistant Research Officer.
(2)	Additional Statistics Officer/ Additional Research Officer	Recruitment by promotion shall made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Additional Statistics Officer and Assistant research officer, who have completed two years service as such on the first day of July of the selection year through the selection committee.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART -IV QUALIFICATION

Nationality

7. A Candidate for direct recruitment to a post in the service must be :

(a) Citizen of India, or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1 January, 1962 with the intetion of permanently settling in india ; or

(c) A person of Indian origin has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African country of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in india :

Provided that a candidate belonging to category (b) and (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the state Government :

Provided that further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Statistics Officer/Assistant Research Officer must possess the following minimum qualifications :

(A) A Post- graduate degree in Statistics/ Mathematics/ Economics/ Commerce/Management from a recognised University established by law in India and good knowledge of The Hindi in Devnagari script. Preference

shall be given to the holder of Statistical certificate (Indian Statistical Institute) in Part- I or equivalent Diploma or Certificate.

(B) One year 'O' Level Diploma in computer science or One year Post-graduate diploma in Computer Science/Computer Application from a recognised Institution/University.

Preferential Qualification

9. A candidate who has:

(a) served in the Territorial Army for minimum period of two years, or

(b) obtained a "B" Certificate of National Cadet Corps, other thing being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on January 1 of the year of direct recruitment.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward classes and such other categories to the state of Uttarakhand as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

Note:- A person dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall not be eligible for appointment to any post in service. Persons, convicted of an offence involving moral turpitude, shall also not be eligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service;

Provided that the Government may, it satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with efficient performance of his duties. Before candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a

Medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III;

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by pomotion.

PART V- PROCESS OF RECRUITMENT

Determination of Vacancies

14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand under Rule 6, and shall furnish the information to the Commission.

Process for Direct recruitment to the posts of Assistant Statistics Officer/ Assistant Research Officer

15. (1) Application for being considered for selection shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment.

(2) No Candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the commission.

(3) The Commission, shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories to the state of Uttarakhand in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates as on the result of the written examination have come up to the standard fixed by the Commission in this respect the marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service, the number of the names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Note:- The syllabus and rules for competition examination shall be prescribed by the commission with the approval of the Government from time to time.

Procedure for recruitment by promotion on the posts of Additional Statistics Officer/ Additional Research Officer

16. (1) Recruitment by cent-percent promotion to the posts of Additional Statistics Officer/Additional Research Officer shall be made through the selection Committee on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst the Assistant Statistics Officer/Assistant Research Officer (Block Level) as follows:

(1) Director- Chairman

(2) One Technical Expert nominated by the Director.

(3) An officer not below the rank of Joint Director to be nominated by the Appointing Authority.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidate by seniority and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and if it considers necessary, it may interviewed the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

PART VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. (1) Subject to the provisions of sub rule (2) the Appointing Authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the prepared under Rule-15,16.

(2) The Appointing Authority may make appointments in temporary capacity also from the list prepared under sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointment in such vacancies from amongst persons eligible for appointment under these Rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these Rules, whichever be earlier.

Probation

18. (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of one years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond one year.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post.

(4) A probationer who is reverted under sub^rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

19. (1) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if -

(a) His work and conduct has been found satisfactory,

(b) His integrity is Certified, and

(c) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation;

Seniority

20. (1) The seniority of person substantively appointed in any category of the post in the service shall be determined in accordance with "The Uttarakhand Government Servants (Seniority) Rules, 2002" as amended time to time.

(2) Where the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment, it will mean the date of issue of the order.

PART VII - PAY Etc.

Scale of Pay

21. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in Appendix-'B'.

Pay during Probation

22. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules, applicable to Government Servants generally serving in connection with the affairs of the State.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to the Government servant generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII - OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of Other Matters

24. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the Conditions of Service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission that body shall be consulted before the requirements of the rules are dispensed with or relaxed..

Saving

26. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backword classes of citizens and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix-'A'

(Please see sub-rule (2) of rule 4)

S.No./ Designation	Total No. of Permanent Posts are 209 (First Level 60 percent and Second Level 40 Percent).		
1- Assistant Statistics Officer /Assistant Research Officer (First Level)	125		
2- Additional Statistics Officer/Additional Research Officer (Second Level)	84		

Appendix-'B'

(Please see sub-rule (2) of rule 21)

S.No.	Name of Post	Pay Scale
(1)	(2)	(3)
1-	Assistant Statistics Officer /Assistant Research Officer	No. 9300-34800 G.Pay 4200
2-	Additional Statistics Officer / Additional Research Officer	No. 9300-34800 G.Pay 4600

By Order,

Dr. M.C. JOSHI,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 नियोजन / 131--2016--100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।